संख्या-1083/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव, ,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई, 2024

विषय- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से वचाव एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु यातायात सेवाओं के सुदृढीकरण करने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद से उपकरणों/संसाधनों के क्रय हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र सं0-उप0प्रको0-203-2023(महाकुम्भ 2025/यातायात), दिनांक 20.06.2024, जो आपको सम्बोधित एवं राजस्व विभाग को पृष्ठांकित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगामी महाकुम्भ-2025 के अवसर पर तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों की अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी/क्षमता निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की मानक मद-10 से निम्नलिखित विवरण के अनुसार यातायात उपकरणों/संसाधनों की व्यवस्था हेतु धनराशि रू0 40,92,98,000/- **(रूपये चालीस करोड़ बयानबे लाख अट्ठनबे हजार मात्र)** आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

यातायात उपकरण-

क्र0	उपकरण का नाम	योग	अनुमानित दर (रू0 में)	कुल अनुमानित धनराशि (रू0 में)
1	इन्टरसेप्टर वाहन (चार पहिया)	10	35,00,00	3,50,00,000/-
2	इन्टरसेप्टर वाहन (दो पहिया)	75	7,00,000	5,25,00,000/-
3	थीथर ड्रोन	08	25,00,000	2,00,00,000/-
4	पिकअप भार वाहन (चार पहिया)	03	12,00,000	36,00,000/-
5	क्रेन	05	25,00,000	1,25,00,000/-
6	बॉडी वार्न कैमरा सर्वर	9	5,00,000	45,00,000/-
7	बॉडी वार्न कैमरा	440	26,500	1,16,60,000/-
8	डेसीबल मीटर	100	89,000	89,00,000/-
9	ब्रेथ एनालाइजर	160	56,000	89,60,000/-

10	सर्च लाइट	1,380	5,000	69,00,000/-
11	सेफ्टी टार्च बार	2,710	2,000	54,20,000/-
12	पी0ए0 सिस्टम (02 हार्न, 01 माइक, पेन ड्राइव मय सहवर्ती उपकरण)	410	18,000	73,80,000/-
13	लाउडहेलर	530	4,000	21,20,000/-
14	कैटस आई	2,400	1,200	28,80,000/-
15	मोबाईल फोन	50	20,000	10,00,000/-
16	डेस्कटाप कम्प्यूटर सेट	12	75,000	9,00,000/-
17	लैपटाप	5	75,000	3,75,000/-
18	प्रिन्टर	12	59,000	7,08,000/-
19	फोटोस्टेट मशीन	4	4,77,500	19,10,000/-
20	प्रोफेसनल फार्मेट डिस्प्ले	8	1,73,000	13,84,000/-
21	एलईडी टीवी	1	55,000	55,000/-
22	इनवर्टर मय बैटरी	3	50,000	1,50,000/-
23	ट्रैफिक कोन	15,500	700	1,08,50,000/-
24	फोल्डिंग बैरियर आयरन	5,300	8,800	4,66,40,000/-
25	मोबाइल बैरियर आयरन	6,500	10,000	6,50,00,000/-
26	डेलीनेटर	2,300	3,000	69,00,000/-
27	फ्लोरोसेंट जैकेट	3,580	700	25,06,000/-
28	टेम्प्रेचर कन्ट्रोल डिवाइस (Head gaurd)	1500	25,000	3,75,00,000/-
29	हेलमेट	3,465	400	13,86,000/-
30	रेनकोट	3,180	2,000	63,60,000/-
31	फेस मास्क	3,000	170	5,10,000/-
32	सेफ्टी गॉगल्स	4,750	2,000	95,00,000/-
33	रिफ्लेक्टर स्टीकर (पीस)	1,00,000	12	12,00,000/-
34	प्लास्टिक एवं जूट रस्सा किग्रा में	23090	100	23,09,000/-
35	रिफ्लेक्टिव रोल स्टीकर (एचआईपी)	19890	1,500	2,98,35,000/-
	योग			**40,92,98,000/-**

2- अतः उक्त के संवंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य

कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आगामी महाकुम्भ-2025 के अवसर पर तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों की अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी/क्षमता निर्माण हेतु उक्त अनुमानित धनराशि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की मानक मद-10 से उक्त प्रस्तर-1 की तालिका पर उल्लिखित यातायात उपकरणों/संसाधनों की व्यवस्था हेतु अनुमोदित धनराशि **रू0 40.90 करोड़ (रूपये चालीस करोड़ नब्बे लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

1. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020- NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइ्‌डलाइंस के अनुसार किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गा्ईडलाईन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

2. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरण आदि सामग्री का उपयोग केवल कुम्भ के दौरान ही नहीं अपितु किसी समय किसी भी आपदा के घटित होने पर यातायात निदेशालय द्वारा सक्रिय रूप से किया जायेगा, जिससे आपदा के दौरान जनहानि, धनहानि को न्यूनतम करने के लिए सेण्डई फ्रेमवर्क के निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जा सके।

3. राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के
अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

4. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

5. क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व गृह विभाग/यातायात निदेशालय का होगा।

6. महाकुम्भ मेला-2025 की समाप्ति के उपरान्त भविष्य में उपरोक्त उपकरणों का आपदा सुरक्षा एवं बचाव हेतु समुचित उपयोग का उतरदायित्व गृह विभाग/यातायात निदेशालय का होगा।

7. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष वचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलव्ध कराया जायेगा।

9. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

10. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरणों के रख रखाव संबंधी व्यय विभागीय बजट से किया जायेगा।

12. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का क्रय चालू वितीय वर्ष में अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

13. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का सञ्चालन एवं रख-रखाव गृह विभाग/यातायात निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

14. राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइड लाईन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

15. प्रश्नगत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि को समयबद्ध रूप से पूर्णरूप में व्यय किये जाने हेत नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनकी जिम्मेदारी इस सबध में सुनिश्चित की जाय ताकि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग समयबद्ध रूप से हो सके और नोडल अधिकारी को राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 40.90 करोड़ (रूपये चालीस करोड़ नब्बे लाख मात्र)** को चालू वितीय वर्ष 2024-2025 के आय-वययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-10 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by
Ram Kewal
Date: 18-07-2024 15:56:05

(राम केवल)
विशेष सचिव

<u>संख्या:-1083(1)/एक-10-2023, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय

4- अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

5- पुलिस उप महानिरीक्षक, यातायात निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

6- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

9- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

10- गृह (पुलिस) अनुभाग-7 ।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 ।

12- राजस्व अनुभाग-11/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-26/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1083
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1083
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2552-पुलिस अधीक्षक , --01-a	वर्तमान प्रगामी	409000000 409000000	409000000 409000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	409000000 409000000	409000000 409000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चालीस करोड़ नब्बे लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चालीस करोड़ नब्बे लाख

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।